

बिहार सरकार
विधि विभाग

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011



2011

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011

विषय सूची ।

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से 656,77,08,15,000 (छह सौ छप्पन अरब सतहत्तर करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार) रुपये मात्र की निकासी ।
3. विनियोग ।

अनुसूची ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह 01 अप्रील 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 656,77,08,15,000 (छह सौ छप्पन अरब सतहत्तर करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार) रुपये की निकासी । - बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान में आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियां, जो कुल मिलाकर 656,77,08,15,000 (छह सौ छप्पन अरब सतहत्तर करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार) रुपये शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेंगी ।

3. विनियोग - इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31 वीं मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियुक्त किया जायेगा ।

अनुसूची
(धाराएं 2 ओर 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान भंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व पूंजी	12358920000 0	0 0	12358920000 0
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व पूंजी	3847270000 0	0 0	3847270000 0
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व पूंजी	2761621000 3589068000	0 0	2761621000 3589068000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व पूंजी	1155608000 94500000	1200000 0	1156808000 94500000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व पूंजी	0 0	63049000 0	63049000 0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व पूंजी	655299000 0	0 0	655299000 0
07	निगरानी विभाग	राजस्व पूंजी	235369000 0	0 0	235369000 0
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व पूंजी	620719000 0	0 0	620719000 0
09	सहकारिता विभाग	राजस्व पूंजी	2950915000 1035685000	0 0	2950915000 1035685000
10	उर्जा विभाग	राजस्व पूंजी	11123781000 17339264000	0 0	11123781000 17339264000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व पूंजी	1036679000 38500000	0 0	1036679000 38500000
12	वित्त विभाग	राजस्व पूंजी	2714795000 240000000	2435000000 0	5149795000 240000000
13	सूद भुगतान	राजस्व पूंजी	0 0	47385082000 0	47385082000 0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व पूंजी	0 0	0 29078888000	0 29078888000
15	पेंशन	राजस्व पूंजी	75773079000 0	69559000 0	75842638000 0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व पूंजी	29828813000 2500000000	0 0	29828813000 2500000000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व पूंजी	697125000 0	0 0	697125000 0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व पूंजी	4287116000 0	0 0	4287116000 0

अनुसूची
(धाराएं 2 ओर 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व पूंजी	1240609000 12000000	0 0	1240609000 12000000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व पूंजी	23053067000 4193000000	0 0	23053067000 4193000000
21	मानव संसाधन विकास विभाग	राजस्व पूंजी	109159119000 620000000	0 0	109159119000 620000000
22	गृह विभाग	राजस्व पूंजी	35341860000 4349708000	0 0	35341860000 4349708000
23	उद्योग विभाग	राजस्व पूंजी	4836535000 389605000	0 0	4836535000 389605000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व पूंजी	633683000 0	0 0	633683000 0
25	सूचना प्राविधिकी विभाग	राजस्व पूंजी	1050013000 1018125000	0 0	1050013000 1018125000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व पूंजी	1682018000 112300000	0 0	1682018000 112300000
27	विधि विभाग	राजस्व पूंजी	5152870000 0	0 0	5152870000 0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व पूंजी	0 0	826690000 0	826690000 0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व पूंजी	155722000 0	0 0	155722000 0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व पूंजी	5687553000 51000000	0 0	5687553000 51000000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व पूंजी	14426000 0	0 0	14426000 0
32	विधान मंडल	राजस्व पूंजी	805338000 0	3285000 0	808623000 0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व पूंजी	3308117000 0	0 0	3308117000 0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व पूंजी	0 0	122611000 0	122611000 0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व पूंजी	7089511000 7672350000	0 0	7089511000 7672350000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व पूंजी	3414132000 3908574000	0 0	3414132000 3908574000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान भंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व पूंजी	5426484000 10918553000	0 0	5426484000 10918553000
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व पूंजी	1105629000 0	0 0	1105629000 0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व पूंजी	7699372000 25000000	0 0	7699372000 25000000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व पूंजी	3811051000 578600000	0 0	3811051000 578600000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व पूंजी	6481323000 38771940000	0 0	6481323000 38771940000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व पूंजी	14710828000 28900000	0 0	14710828000 28900000
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व पूंजी	488938000 573922000	0 0	488938000 573922000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व पूंजी	5290532000 148000000	0 0	5290532000 148000000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व पूंजी	456399000 2433000	0 0	456399000 2433000
46	पर्यटन विभाग	राजस्व पूंजी	118284000 244389000	0 0	118284000 244389000
47	परिवहन विभाग	राजस्व पूंजी	336349000 1338485000	0 0	336349000 1338485000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व पूंजी	12837811000 70000000	0 0	12837811000 70000000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व पूंजी	8205345000 20963842000	0 0	8205345000 20963842000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व पूंजी	4216585000 2444634000	0 0	4216585000 2444634000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व पूंजी	28084662000 1571800000	0 0	28084662000 1571800000
योग राजस्व			451941274000	50906476000	502847750000
योग पूंजी			124844177000	29078888000	153923065000
महायोग			576785451000	79985364000	656770815000

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि :-

(क) विधान सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित निधि में से विनियोजित की जायगी ।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित निधि में से 656,77,08,15,000 (छह सौ छप्पन अरब सतहत्तर करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार) रुपये की राशि जिसका शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में शोधन के दौरान में आने वाले भारों की पूर्ति की जा सके ।

(सुशील कुमार मोदी)

भार-साधक, सदस्य ।